पत्रावली दि 16.5.19 को पेश।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

16.5.19 [illegible] पीठासीन अधिकारी
[illegible] पत्रावली बाद
पक्षिक कार्यवाही दिनांक 20.5.19
को पेश हो।

20.5.19 पत्रावली पश्चात् [illegible] बाद बाकी आदि
से सुनाई गई तथा पत्रावली को आगे अग्रिम
आदेश के लिये नियत की जाने का
[illegible] 100 मीटर स्थानीय निरीक्षण
पत्रावली [illegible] के दृष्टिगत होने अन्तर के
कारण को तथा बाद तकमीन अवधि बाद
चालिस दिवस की निर्धारित किया है।
20.5.19 को मुझे न्यायालय के समक्ष

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner